पत्रावली पेश। वकील वादी/अपीलार्थी
द्वारा आदेश में पत्रावली दिनांक 13/9/17
को पेश है।

आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायालय
आपके घर कैम्प सौंटा पर पेश हुई
मु० पत्र 212 RTAct में जारी TI मूल
वाद के निर्णित होने तक कन्फर्म किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नाबत
से कम की जाकर मूल वाद के साथ दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज०